फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री सेख समीर पिता सेख युसुफ आयु वयस्क निवासी गोसला घट्टिया, माहीदपुर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) वर्तमान पता 28, कीर्तिनगर, चंदेरिया, पुलिस स्टेशन के पीछे चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रार्थी

:: बनाम ::

सरकार

– अप्रार्थी

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र गोवंश

पत्रावली संख्या 01/2023

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.08.2023 प्रार्थी श्री सेख समीर द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपराध अंतर्गत धारा 5,6/8,9 राजस्थान गोवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 483 भादस में धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर बताया कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-7149 का प्रार्थी एकमात्र स्वामित्व है, जब्तशुदा वाहन को पुलिस थाना देलवाड़ा द्वारा अपनी तहवील में ले रखा है उक्त वाहन की अब पुलिस अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है तथा जब्तशुदा वाहन करीब 1 वर्ष से थाने में खुला पड़ा हुआ है तथा बिना वजह थाने में पड़े रहने से उसके कलपुर्जे खराब होने का अंदेशा है व प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता होने से वाहन के अभाव में प्रार्थी को भारी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी उक्त जब्तशुदा वाहन की मौतबिर व्यक्ति की जमानत एवं स्वयं प्रार्थी का सिपूर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है, प्रार्थी उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में आप न्यायालय के आदेशों की पुरी–पुरी पालना करेगा एवं आप न्यायालय द्वारा वाहन को मंगवाने पर प्रार्थी स्वयं आप न्यायालय में उपस्थित कर देगा। प्रार्थी गरीब मजदूर होकर निर्दोष व्यक्ति है। यह कि प्रकरण की ट्रायल माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नाथद्वारा में लंबित है जिसके निस्तारण में समय लगेगा तब तक उक्त वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-	

GC-7149 है जो बिना वजह पड़े रहने से इसके कलपूर्जे, टायर–ट्यूब, बेट्री इत्यादि खराब होने का अन्देशा है जिसे प्रकरण के निस्तारण तक अन्तरिम सिपुर्दगी हेतु प्रार्थी को सिपुर्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है यह कि प्रार्थी आप न्यायालय के आदेशानुसार सिपुर्दगीनामा एवं जमानत नामा पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ-09-GC-7149** को प्रकरण के निस्तारण तक प्रार्थी को अंतरिम सिपुर्द करने हेतु अनुरोध किया है।

थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, देलवाड़ा द्वारा पत्रांकः 3108–09 दिनांक 15.12.2022 से अवगत कराया कि कुलिया तफतीश से अभियुक्त सेख समीर पिता सेख युसुफ निवासी गोसला घट्टिया, माहीदपुर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) वर्तमान पता 28, कीर्तिनगर, चंदरिया, पुलिस स्टेशन के पीछे चित्तौड़गढ़ (राज.) के विरूद्ध जुर्म धारा 5,6/8,9 राजस्थान गोवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 483 भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ-09-GC-7149** की प्रकरण की तफ्तीश में आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन को अन्तरिम सुपुदर्गी पर सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में बताया कि अभियुक्त उक्त वाहन का संचालन दुराशयपूर्वक कर रहा था उक्त वाहन का अभियुक्त भविष्य में भी दुरूपयोग कर सकता है उक्त वाहन में अभियुक्त द्वारा निर्दयतापूर्वक 53 पशुओं को भरा गया था। अभियुक्त अगर इस बात की अण्डरटेकिंग देता है कि भविष्य में उक्त वाहन का दुरूपयोग नहीं करेगा, तो न्यायालय उचित समझे तो उक्त जब्तशुदा वाहन को डेढ गुणा राशि का सुपुर्दगी नामा एवं जमानत मुचलका लेकर को छोडा जा सकता है।

थानाधिकारी देलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ-09-GC-7149** की प्रकरण में चार्जशीट संख्या 85/2022 दिनांक 12.12.2022 को थाना हाजा को कता किया गया। जिससे प्रमाणित है कि प्रकरण में तफ्तीश पूर्ण हो चुकि हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों व पुलिस की तथ्यातमक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वाहन ट्रक को पुलिस द्वारा जब्त किया गया हैं। पुलिस रिपोर्ट में गौवंश को ट्रक में भरकर परिवहन किया जाना बताया गया है। गौवंश के परिवहन संबंधी इनके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र या परमीट नहीं पाया जाना बताया गया। राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन संशोधन अधिनियम 2018 पश्चात धारा 6(क) की उपधारा (3) के अधीन यह प्रावधान है कि जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिवहन, व्यय या निर्मुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी। साथ ही जब्त पशुधन के सम्बन्ध में प्रकरण में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जब कभी तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गौवंशीय पशु अधिग्रहित किये जाये तो अधिग्रहित किये गये गौवंशीय पशु की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गौशाला या किसी भी गौ सदन को सौंपी जा सकेगी। थानाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त वाहन से 53 गाय/बैल/बछडे/बछडी बरामद किये जाकर गोवंश को मौके से श्री चारभुजा गोशाला संचालक/अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश डांगी को निगरानी व चारापानी की व्यवस्था हेतु सुपुर्द किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-7149 का उपयोग पशुओं के अवैध परिवहन हेतु किया गया। साथ ही जब्त पशुओं के सम्बन्ध में भी कोई परमीट व वैध कागजात प्रस्तुत नही किये गये। प्रकरण में अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा में अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अतः जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-7149 को अधिहरण (Confiscation) करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी धारा के परन्तुक 3 अनुसार "यह भी कि इस उप–धारा के अधीन अधिहरण का आदेश करने के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी का अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

साधन के बाजार मूल्य से अधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकने के प्रावधान होने से यदि जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-7149 के बदले में बीमा में अंकित राशि के समतुल्य राशि की एवं इतनी ही राशि के जमानत, मुचलके प्रस्तुत किये जाते है। तो जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत वाहन मालिक को बैंक गारण्टी एवं उसके निजी मुचलके के आधार पर अन्य किसी मामले में आवश्यकता न हो तो सिपुर्द किया जावे। अन्यथा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवायी जावें।

तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा तथा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर उक्त जब्तशुदा वाहन ट्रक जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-09-GC-7149 को प्रार्थी श्री सेख समीर को निम्न शर्तो के साथ अंतरिम सिपुर्द करने के आदेश किये जाते है।

(1) प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द एवं किसी को विक्रय/ हस्तान्तरण नहीं करेगा ।

(2) न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर,
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)